कार्यालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2024/444**
दायरा तिथि : 04.11.2024
आदेश तिथि : 18-03-2026
प्रार्थी :–

ढलाराम पुत्र भेराराम जाति मेहतर निवासी बाली तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली
2. सोहनलाल पुत्र डोवाराम जाति घांची, निवासी बाली जिला पाली
3. गमनाराम पुत्र हेमाराम जाति राईका निवासी लालराई जिला पाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 18-03-2026

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 430 रकबा 0.79 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 423 रकबा 4.9000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/943 दिनांक 09.04.2025 की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग खसरा न. 423 तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है एवं प्रस्तावित रास्ता ही एक मात्र स्त्रोत है। प्रस्तावित रास्ते के खसरा न. 430, 423/1391, 423/1393 ग्राम कोटबालियान बांध के भराव क्षमता में होने से डुब क्षेत्र में होने से उक्त रास्ता प्रस्तावित किया जाना उचित नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य विकल्प के तौर पर खसरा न. 423/1392 रकबा 0.80 हैक्ट एवं खसरा न. 431/1 रकबा 0.8000 हैक्ट, उक्त दोनों खसरों में वैकल्पिक रास्ता प्रस्तावित करने पर, उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक न्यूनतम दूरी पर स्थित है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	431/1	0.8000	बारानी सोयम	60X07=420 वर्गमीटर	सोहनलाल पुत्र डोवाराम घांची, साकिन बाली खातेदार
2.	423/1392	0.8000	बारानी सोयम	90X07=630 वर्गमीटर	गमना पुत्र हेमाराम जाति राईका, निवासी लालराई

4. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 1,74,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकील श्री दिलीपसिंह राजपुरोहित ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता दिये जाने बाबत सहमति की।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

कार्यालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/444
अनवान ढलाराम बनाम तहसीलदार बाली वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से वकील श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत को जवाब हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अवसर बंद किया गया। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 430 रकबा 0.79 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 430 रकबा 0.79 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम लालराई पटवार हल्का सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 431/1 रकबा 0.8000 हैक्टर एवं खसरा नंबर 423/1392 रकबा 0.8000 हैक्टर में से **420+630=1050 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे।
प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,74,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
431/1	0.8000	60X07=420 वर्गमीटर	18	7560X2=15120	सोहनलाल पुत्र डोवाराम घांची, साकिन बाली खातेदार
423/1392	0.8000	90X07=630 वर्गमीटर	18	11340X2=22680	गमना पुत्र हेमाराम जाति राईका, निवासी लालराई

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 37800/– (अक्षरे सैतीस हजार आठ सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड से अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2026/ 515–519
दिनांक : 30-3-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बाली
3. पटवारी हल्का, सेसली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक ढलाराम पुत्र भेराराम जाति मेहतर निवासी बाली तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

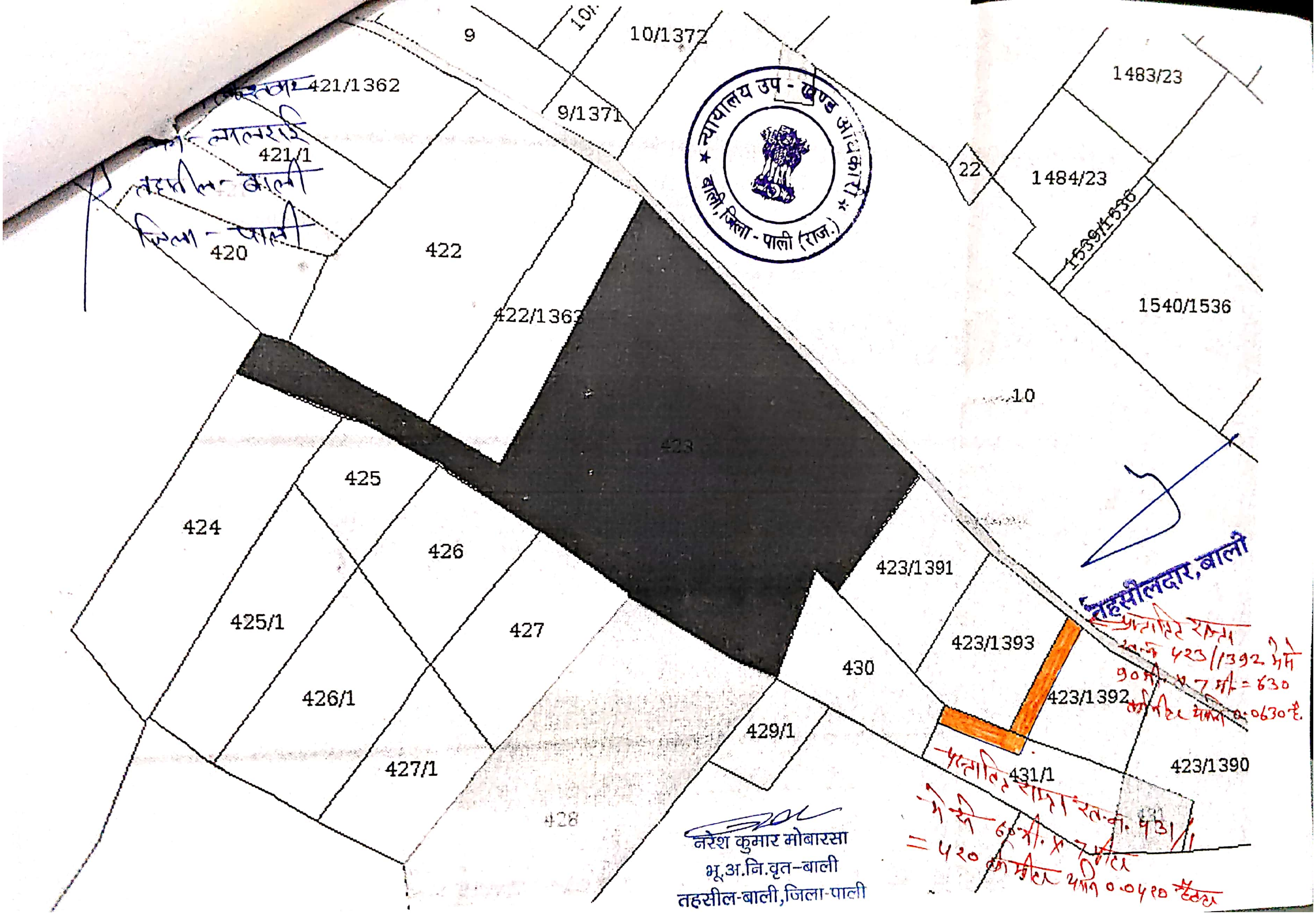

Scanned with OKEN Scanner